आर.ई.ओ.–137

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० REO/प्रे० 499 जोधपुर, दिनांक 17/5/07

आदेश

विषय :– कटे हुए कृषि कनेक्शन को पुनः चालू करने बाबत् ।

*****

समन्वय समिति की दिनांक 07.04.07 को आयोजित 103वीं बैठक में कृषि कनेक्शन नीति–2004 (संशोधन दिनांक 18.09.2004) के बिन्दु संख्या 24 एवं निगम आर०ई०ओ०–133 के तहत कटे हुए कृषि कनेक्शन को पुनः चालू करने के संबन्धित प्रचलित नियमों पर, विस्तृत चर्चा कर लिए गये निर्णय के अनुपालना में निगम आर०ई०ओ०–133 को संशोधित करते हुए यह आदेश दिये जाते है कि–

1. कृषि कनेक्शन विच्छेद की तिथि एवं कृषि उपभोक्ताओं द्वारा पुनः कनेक्शन जुडवाने हेतु आवेदन की तिथि के बीच की समयावधि दो साल तक की है तो उपभोक्ताओं से कृषि कनेक्शन नीति–2004 (संशोधित दिनांक 18.09.2004) के अन्तर्गत री–कनेक्शन चार्जेज लेकर कनेक्शन पुनः जोड दिया जाये तथा इस प्रकार के कनेक्शनों को जुडवाने से पूर्व ही नये स्थान पर नियमानुसार स्थानान्तरण एवं नामान्तरण करवाने की सुविधा दी जावे यानि पुराने स्थान पर ही पुनः कनेक्शन लेना अनिवार्य नहीं होगा ।
2. कृषि कनेक्शन कटने एवं कनेक्शन पुनः जुडवाने के लिए दिये गये आवेदन की तिथि के बीच की समयावधि अगर दो साल से अधिक एवं 15 साल तक है, तो ऐसे कृषि कनेक्शन को भी पुनः जोड़ा जा सकेगा । री–कनेक्शन प्रक्रिया एवं चार्जेज कृषि कनेक्शन नीति–2004 (संशोधित दिनांक 18.09.2004) के अनुसार रहेगे तथा ऐसे कनेक्शनों को पुराने कटे हुए कनेक्शन के स्थान पर ही री–कनेक्शन किया जायेगा । दूसरे स्थान पर नियमानुसार स्थानान्तरण उसी हालात में किया जावेगा अगर नई कृषि भूमि पर आवेदक का कम से कम दो साल का मालिकाना हक हो ।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(ए. एम. लोढा)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एंव आयोजना)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।